अनुदान संख्या 87 – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 87–MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*1,38,00*	*62,50*	*–75,50*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*48,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	16895,18,00		16895,19,00	13796,19,67	–3098,99,33
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2539,43,77
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*9,62,00*	*6,75,60*	*–2,86,40*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,12,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	15842,00,00		16153,00,00	14165,09,61	–1987,90,39
पूरक	Supplementary	311,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1778,42,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत *75.50 लाख रु.* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 55 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, saving of *Rs.75.50 lakhs* occurred under one head constituting 55 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services					
मू.	O.	9821.00		10317.23	8701.78	–1615.45
पु.	R.	496.23				
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges					
मू.	O.	1221591.00		1070109.00	1067780.80	–2328.20
पु.	R.	–151482.00				
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport					
मू.	O.	25200.00		10451.00	2105.05	–8345.95
पु.	R.	–14749.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	424363.00		344698.00	301032.04	–43665.96
पू.	S.	1.00				
पु.	R.	–79666.00				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	8543.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–8543.00				

(I) 26760.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 26754.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्व किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान'' - 1211.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र और नए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''अनुसंधान'' -

(क) ''निरीक्षण और रख-रखाव केन्द्र'' - 1000.00 लाख रु. निरीक्षण और रख-रखाव केन्द्र की रूपरेखा संबंधी अध्ययन रिपोर्ट देर से प्राप्त होने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) ''सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और सुदृढ़ीकरण'' - 3500.00 लाख रु.वित्त मंत्रालय द्वारा स्कीम को अनुमोदित न किए जाने के कारण थे।

(ग) ''राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड'' - 7200.00 लाख रु. मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित न किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - राजकीय राजमार्ग (सड़क और सेतु) - अन्य अनुदान -आर्थिक महत्व की सड़कें'' - 5300.00 लाख रु. उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और निधीयन पद्वति में बदलाव किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602''-

(क) ''संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान'' -

(i) ''दिल्ली में सड़कें'' - 6000.00 लाख रु.; और

(I) Provision of Rs.26760.00 lakhs remained wholly unutilized under nine heads; of these Rs.26754.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "3054" – "District and Other Roads – Road Works – Grants from Central Road Fund to U.T. Governments without Legislature" – Rs.1211.00 lakhs - due to non-receipt of utilization certificate and fresh proposals from Union Territory Governments.

(B) Major Head "3055" – "Research" –

(a) "Inspection and Maintenance Centre" – Rs.1000.00 lakhs - due to non-finalisation of scheme owing to late receipt of study report on the features of Inspection and Maintenance Centre.

(b) "Improving and strengthening of Public Transport System" – Rs.3500.00 lakhs - due to non-approval of the scheme by the Ministry of Finance.

(c) "National Road safety Board" – Rs.7200.00 lakhs - due to non-approval of proposal by the Cabinet.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - State Highways (Roads & Bridges)-Other Grants – Roads of Economic Importance" – Rs.5300.00 lakhs - due to non-receipt of utilization certificates and change in funding pattern.

(D) Major Head "3602" –

(a) "Grants for Union Territory Plan Schemes - Grants from Central Road Fund" –

(i) "Roads in Delhi" – Rs.6000.00 lakhs; and

(ii) ''पांडिचेरी में सड़कें'' - 940.00 लाख रु.।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ख) ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्जीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें'' - 1603.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय -सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय'' के अंतर्गत 1119.22 लाख रु. की बचत (9821.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कंप्यूटर प्रणाली की अधिप्राप्ति न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3054'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग '' -

(क) ''मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्कर का रख-रखाव'' - 163.37 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''सड़क निर्माण कार्य'' -

(i) ''सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव'' - 644.23 लाख रु. की बचत (103644.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलम्ब की वजह से कुछ राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति संबंधी दावे प्राप्त न होने/लेखा-जोखा न होने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण'' - 206.36 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ii) "Roads in Pondicherry" – Rs.940.00 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-receipt utilization certificates.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Grants from Central Road Fund - Roads of Inter-State or Economic Importance" – Rs.1603.00 lakhs- due to non-receipt of proposals from Union Territories.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Road Transport and Highways" – saving of Rs.1119.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9821.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-procurement of computer system and economy measures.

(III) Under Major Head "3054" – savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways" –

(a) "Machinery and Equipment - Maintenance of Machinery and Equipments" – saving of Rs.163.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

(b) "Road Works" –

(i) "Maintenance By Roads Wing" – saving of Rs.644.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.103644.00 lakhs) was due to non-receipt/accountal of reimbursement claims from some State Governments owing to procedural delay.

(ii) "National Highways Tribunals" – saving of Rs.206.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(iii) ''राजमार्ग प्रशासन'' - 246.27 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजमार्ग प्रशासन से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - अन्य व्यय - सड़क कार्य'' - 2386.51 लाख रु. की बचत (6970.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल निर्माण कार्यों, पुन: सतहीकरण और निष्ठा जमा प्राप्ति के लक्ष्यों में कमी किए जाने और प्रतिकर भत्ते के बकायों की अदायगी के लिए समायोजन किए जाने का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(गा) ''सामान्य'' -

(क) ''अनुसंधान और विकास - राजमार्ग अनुसंधान'' - 277.30 लाख रु. की बचत(700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान एजेंसियों की धीमी प्रगति होने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अंतरण-केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान'' - 148875.00 लाख रु. की बचत (1087851.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''अनुसंधान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''सड़क सुरक्षा'' - 5796.48 लाख रु. की बचत(7900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माडल चालक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना संबंधी स्कीम के अनुमोदन में विलम्ब होने और सड़क सुरक्षा उपस्करों और रोगी वाहनों के विनिर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क'' - 5598.47 लाख रु. की बचत (5600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन क्षेत्रों का विलम्ब से पहचान किए जाने की वजह से

(iii) "Highway Administrations" – saving of Rs.246.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to receipt of less demands from Highway Administration.

(B) "Strategic and Border Roads – Other Expenditure - Road Work" – saving of Rs.2386.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6970.50 lakhs) was due to reduction in targets of original works, resurfacing and Fidelity Deposit receipt and non-materialization of adjustment for the arrears payment of compensatory allowance.

(C) "General" –

(a) "Research and Development - Highway Research" – saving of Rs.277.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to slow progress by research agencies and receipt of less proposals.

(b) "Transfer to/from Reserve Fund/Deposit Account - Block Grant for Transfer to Central Road Fund" – saving of Rs.148875.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1087851.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(IV) Under Major Head "3055" – "Research" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Road Safety" – saving of Rs.5796.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7900.00 lakhs) was due to delay in approval of the scheme for setting up Model Drivers Training School, non-finalisation of specification for Road Safety equipments & ambulances.

(B) "National Data Base Network" – saving of Rs.5598.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5600.00 lakhs) was due to non-completion of procedure for award of studies

अध्ययन सौंपे जाने संबंधी प्रक्रिया का पूरा न होने और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से कम मांग होने के कारण हुई।

owing to late identifications of study areas and less demand from National Informatics Centre.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(V) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(का) "योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य" -

(A) "Non-Plan Grants - Strategic and Border Roads - Road Works" –

(क) "बीआरडीबी के अधीन सड़क निर्माण कार्य" - 44473.73 लाख रु. की बचत (161801.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण और वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने को अंतिम रूप न दिए जाने के वजह से पुन: सतहीकरण के लक्ष्यों में कमी किए जाने के कारण हुई।

(a) "Road Works under BRDB" – saving of Rs.44473.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.161801.00 lakhs) was due to reduction in resurfacing targets owing to non- finalization of land acquisition and forest clearance.

(ख) "सड़क रख-रखाव" - 347.86 लाख रु. की बचत (26682.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुन: सतहीकरण लक्ष्यों में कटौती किए जाने और सड़क के कुछ भागों को रख-रखाव के लिए राज्य लोक निर्माण विभागों के सुपुर्द किए जाने के कारण हुई।

(b) "Road Maintenance" – saving of Rs.347.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26682.00 lakhs) was due to reduction in resurfacing targets and handing over of some road stretches to State Public Works Departments for maintenance.

(ग) "हवाई ढुलाई प्रभार" - 518.21 लाख रु. की बचत (917.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वायु सेना द्वारा हवाई ढुलाई सुविधा उपलब्ध न कराए जाने के कारण हुई।

(c) "Air Lift Charges" –saving of Rs.518.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.917.00 lakhs) - due to non-availability of Air Lifts Air Force.

(खा) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - राज्य सड़क के लिए अनुदान" - 64829.00 लाख रु. की बचत (198855.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Grants for State Plan Schemes – Grants from Central Road Fund - Grants for State Road" – saving of Rs.64829.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.198855.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage, non-receipt of proposals from State Governments and non-submission of utilization certificates.

(गा) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व वाली सड़क" - 10961.90 लाख रु. की बचत (21397.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और उड़ीसा की राज्य सरकार से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Grants from Central Road Fund - Road of Inter-State or Economic Importance" – saving of Rs.10961.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21397.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and non-receipt of utilization certificates from State Government of Orissa.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2499.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामरिक और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - बीआरडीबी के अधीन सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2216.13 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''सामरिक और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव'' - 249.98 लाख रु. का अधिक व्यय (9697.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की प्रगति की तीव्र स्थिति बनाए रखने के लिए पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से मदों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601''- ''योजनेतर अनुदान -सामरिक और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सुरक्षा कवच पर व्यय'' - 882.61 लाख रु. का अधिक व्यय (3411.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लक्ष्यों में बढ़ोतरी किए जाने और अधिक बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 82.59 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3.(I) The above savings were partly (Rs.2499.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2009 under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Strategic and Border Roads – Road Works - Road Works under BRDB". Actual excess, however, was Rs.2216.13 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3054" – "Strategic and Border Roads – Road Works – Maintenance by Border Roads Wing" – excess of Rs.249.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9697.00 lakhs) was due to procurement of items through Directorate General of Supplies and Disposals for maintaining high state of progress of work.

(B) Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works – Expenditure on Security Cover" – excess of Rs.882.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3411.00 lakhs) was due to enhancement of targets and clearance of more bills.

(III) Under one head excess of Rs.82.59 lakhs occurred constituting 50 percent of the sanctioned provision.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	*O.*	*962.00*	*750.00*	*675.60*	*–74.40*
पु.	*R.*	*–212.00*			

(I) ''सामरिक और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य-सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन निर्माण कार्य ''के अंतर्गत *218.40 लाख रु.* की बचत (*362.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) न्यायिक मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *68.00 लाख* रु. की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 11 प्रतिशत थी।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (198790.39 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 31100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) Under "Strategic and Border Roads-Road Works-Works under BRDB" – saving of *Rs.218.40 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.362.00 lakhs*) was due to non-finalisation of court cases.

(II) Under one head saving of *Rs.68.00 lakhs* occurred constituting 11 percent of the sanctioned *appropriation.*

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.198790.39 lakhs exceeded the supplementary grant of Rs.31100.00 lakhs obtained in December, 2009 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	151100.00			
पू.	S.	5200.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–156300.00			
मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	1426300.00			
पू.	S.	25900.00	1430658.00	1409709.61	–20948.39
पु.	R.	–21542.00			

(I) 156300.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552'' - "राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क और सेतु) - सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "सड़क स्कंध और सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सड़क विकास निर्माण कार्य" - 36300.00 लाख रु. (5200.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) थे; और

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम'' - 120000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों के किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "5054'' - "सामरिक और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन निर्माण कार्य'' के अंतर्गत 146000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 15600.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 161600.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 31173.62 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भूमि अधिग्रहण और वन विभाग से अनापत्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, उपस्करों और भंडारों की अधिप्राप्ति योजना को विलम्ब से अनुमोदन प्रदान किए जाने और लक्ष्यों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5054'' - "राष्ट्रीय राजमार्ग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्कर'' - 1464.59 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति योजना को अंतिम रूप न दिए जाने, ड्रम मिक्स प्लांट और हाइड्रालिक एक्सकेवेटर की अधिप्राप्ति संबंधी बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण'' - 117375.00 लाख रु.

(I) Provision of Rs.156300.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under Major Head "4552" – "National Highways (Roads and Bridges) – Road Works" – under the following heads:-

(A) "Road Development Works under Roads Wing and BRDB" – Rs.36300.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.5200.00 lakhs); and

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Area" – Rs.120000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "5054" – "Strategic and Border Roads - Road Works - Works under BRDB" – the original provision of Rs.146000.00 lakhs was augmented to Rs.161600.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.15600.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.31173.62 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposals for land acquisition and forest clearance, late approval of procurement plan of equipments and stores and reduction in targets.

(III) Under Major Head "5054" – "National Highways" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Machinery and Equipment – Machinery and Equipment" – saving of Rs.1464.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement plan and non-receipt of bills for procurement of Drum Mix Plant and Hydraulic Excavator.

(B) "Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Highways Authority of

की बचत (857845.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (53260.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5054" - "राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अधीन निर्माण कार्य "के अंतर्गत 25900.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 41674.45 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5054 - "राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 65854.42 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) कार्य की बढ़ी गति की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

7. ***केन्द्रीय सड़क निधि:-***

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000-01 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/- रु. प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनर्संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है।

India" – saving of Rs.117375.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.857845.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Planning Commission.

6.(I) The above savings were partly (Rs.53260.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.25900.00 lakhs under Major Head "5054" – "National Highways - Road Works – Works under Roads Wing". Actual excess, however, was Rs.41674.45 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" – "National Highways - Road Works – Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" – excess of Rs.65854.42 lakhs (against nil provision) was due to requirement of additional funds for National Highways owing to increased pace of work and re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

7. ***Central Road Fund:-***

The fund is financed from part (3.5 paise per liter) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provisions of 2000-2001 an additional tax of Re. 1/- per liter has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. This additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

वर्ष 2009-2010 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2009-2010 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	3696,56,63
प्राप्तियां	Receipts	14400,00,00
अदायगियां	Payments	13864,26,76
अंतशेष	Closing Balance	4232,29,87

7. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि:-

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत 25.00 लाख रु. से अधिक और 100.00 लाख रु. तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 100.00 लाख रु. से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में ''राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि'' को अंतरित कर दिया जाता है। संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

7. National Highways Permanent Bridges Fees Fund:-

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than Rs.25.00 lakhs and upto Rs.100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and there after all the bridges costing more than Rs.100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fee Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilised for development of National Highways.

वर्ष 2009-2010 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2009-2010 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	345,12,57
प्राप्तियां	Receipts	75,39,00
अदायगियां	Payments	89,95,00
अंतशेष	Closing Balance	330,56,57